



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक अपील संख्या- 56/2010

अजीमुल्ला उर्फ डल्ले उर्फ अलीमुल्लाह

... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: - राजन सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह आपराधिक अपील धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 389 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर की गई है। यह अपील श्री राम प्यारे (उ.न्या.से.), अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-IV, न्यायालय संख्या 13, सुल्तानपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 11/2008, जो थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर के मुकदमा अपराध संख्या 524/1995 अंतर्गत धारा 363, 504, 506, 352 भारतीय दंड संहिता एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) से उद्भूत है, में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलकर्ता को 3 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि 1,000/- रुपये है, जिसे जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
3. वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि अभियोजन पक्ष के कथनानुसार, दिनांक 03.11.1995 को सुबह लगभग 8:00 बजे, अभियुक्तों, यथा राम कुमार, राम उजागर, अजीमुल्ला उर्फ डल्लू और अन्य सूचनाकर्ता की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अवयस्क बहन को बहला-फुसलाकर और जबरन मोटरसाइकिल पर ले गए। यह भी आरोप है कि जब मुखबिर और परिवार के अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो अभियुक्तों ने उन्हें गाली दी और जान से मारने की धमकी दी।

4. तहरीर के आधार पर, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 352, 504, 506 और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
5. अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, साक्षियों के बयान दर्ज किए और अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण, इसे विधि के अनुरूप विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी. IV), न्यायालय संख्या 13, सुल्तानपुर की न्यायालय में सुपुर्द और स्थानांतरित कर दिया गया था।
6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 352, 504, 506 और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत आरोप विरचित किए, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया और विचारण का अनुरोध किया।
7. अपने मामले को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कई साक्षियों की परीक्षा की जिनमें श्रीमती विमला देवी (अभियोजन साक्षी-1), कुलफत (अभियोजन साक्षी-2), मनोरमा (अभियोजन साक्षी-3), हनुमान (अभियोजन साक्षी-4) और अन्य औपचारिक साक्षी सम्मिलित थे। दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया और झूठा फंसाए जाने का कथन किया। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
9. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अभिमूल्यन करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत दोषी पाया और उन्हें दंडित किया, जबकि उन्हें अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

10. आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 23.12.2009 से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने इस आधार पर वर्तमान अपील दायर की है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का उचित अभिमूल्यन नहीं किया। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं और उनके साक्ष्य में तात्त्विक विरोधाभास हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को शत्रुता और विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है।
11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि उन्होंने दोषसिद्धि के निर्णय और दंड आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है, लेकिन इस स्तर पर, वे मात्र दंड की मात्रा के संबंध में अपील पर बल देना चाहते हैं और गुण-दोष के आधार पर अपील पर बल नहीं देना चाहते हैं।
12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्वयं की परिवीक्षा संबंधी स्थानीय विधि है, अर्थात् **उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938**। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (केंद्रीय अधिनियम) (एतद्पश्चात् 1958 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) भी उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; (2017) 2 एससीसी 198** के मामले में निर्धारित किया है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि किसी भी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घटना 31 वर्ष पूर्व हुई थी और अपीलकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता पहली बार का अपराधी है और उसे पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए, उन्होंने इस न्यायालय से अभियुक्त-अपीलकर्ता को 1958 के अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।
14. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई तात्त्विक अनियमितता या अवैधता नहीं कारित की गई है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त-अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषसिद्ध किया गया है।

15. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वर्ष 1958 के अधिनियम की धारा 4 का लाभ अभियुक्त-अपीलकर्ता को 1958 के अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट कुछ शर्तों पर दिया जा सकता है।

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार करने से पूर्व, अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4 को उद्धृत करना लाभकारी है:

3. कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति:— जब कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अथवा भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अनधिक के लिए कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि सिद्ध नहीं होती है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान रखते हुए ऐसा करना समीचीन है जब तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के अन्तर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश भी है।

4. कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ देना समीचीन हो तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरन्त दंडित करने के बजाय, निदेश दे सकेगा कि उसे, प्रतिभुओं के सहित या उनके बिना, उसके द्वारा ऐसा बंधपत्र देने पर छोड़ दिया जाए कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा :

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परन्तु न्यायालय किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निदेश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि अपराधी या उसके प्रतिभू का, यदि कोई हो, नियत निवास-स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है, जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वह बंधपत्र देता है।

17. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

18. वर्ष 1958 के अधिनियम की धारा 4 वहां लागू होती है जहां कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसमें दंड न तो आजीवन कारावास है और न ही मृत्युदंड। न्यायालय ऐसे अभियुक्त को धारा में उल्लिखित बंधपत्र जमा करने पर अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा कर सकता है। इस धारा के प्रावधानों को लागू करने में न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करने से पूर्व मामले की परिस्थितियों, अपराधी के चरित्र और अपराध की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है।

19. जहां तक दंड के प्रश्न का संबंध है, यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना वर्ष 1995 में हुई थी, और इस प्रकार एक दीर्घ अवधि बीत चुकी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता अब 70 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस संबंध में, एक शपथपत्र दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता घटना के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं रहा है। जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्ष 1958 के अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान करने की प्रार्थना का संबंध है, शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक स्थिति और विधि पर चर्चा करना आवश्यक है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रतन लाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1965 एससी 444** में, अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 के उद्देश्य और ध्येय पर चर्चा करते हुए, पैरा संख्या 4 में निम्नवत टिप्पणी की है:

"4. यह अधिनियम दंडशास्त्र के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह उस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक विधि का उद्देश्य अपराधी को दंड देने से अधिक उसमें सुधार करना है। मोटे तौर पर यह अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के

अपराधियों और उस आयु से ऊपर के अपराधियों, और उन अपराधियों जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी हैं और जो कम अपराध के दोषी हैं, के बीच अंतर करता है। जबकि उन अपराधियों के मामले में जो 21 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं, न्यायालय को अधिनियम के समुचित प्रावधान में प्रतिपादित शर्त के अधीन, उन्हें भर्त्सना के पश्चात या अच्छे आचरण की परीक्षा पर छोड़ने का पूर्ण विवेक दिया गया है, 21 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के मामले में न्यायालय को यह आदेश जारी किया गया है कि वह उन्हें कारावास की सजा न दे जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्र सम्मिलित है, को देखते हुए उनके मामले पर धाराओं 3 और 4 के अंतर्गत विचार करना वांछनीय नहीं है।"

21. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (1981) 1 एससीसी 447: एआईआर 1981 एससी 643 के मामले में अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अनुपालन के संबंध में न्यायपीठ और बार के कर्तव्य पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की:

"वह अपराध, जिसके लिए दोषसिद्धि की गई है, ऐसा है जो धारा 360 या कम से कम अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 द्वारा आकर्षित होगा। हमारे समक्ष उपलब्ध सामग्री अधूरी है क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपने दंड प्रदान करने के कार्यों के निर्वहन में सतही संव्यवहार किया है। हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि किसी अभियुक्त को दंड प्रदान करना विवेक की संवेदनशील प्रक्रिया है न कि मात्र अंतर्ज्ञान पर कार्य करने वाला कोई नियमित या यांत्रिक नुस्खा। विचारण न्यायालय को परिस्थितियों में उचित दंड देने में सहायक आवश्यक सामग्री एकत्र करनी चाहिए थी। अपराध करने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत कारक अत्यधिक प्रासंगिक हैं, हालांकि व्यवहार में आपराधिक न्यायालयों ने शायद ही कभी अपराधी के सामाजिक परिवेश या व्यक्तिगत परिस्थितियों पर ध्यान दिया हो। भले ही धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता आकर्षित न हो, दंड प्रदान करने वाले न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ दंड पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को एकत्र करने के लिए पर्याप्त सक्रिय रहे। वर्तमान मामले में ऐसी

सामग्रियों की अनुपस्थिति ने हमें अधिवक्ता द्वारा भी बहुत कम सहायता प्राप्त होने दी है। वास्तव में बार के सदस्य भी इन विधायी प्रावधानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं जो एक अपराधी के मामले पर इस प्रकार विचार करने से संबंधित हैं कि वह एक 'गैर-अपराधी' बन जाए। हम इस पर बल इसलिए देते हैं क्योंकि दंड में सुधार से संबंधित विधि को 'लघु अधिनियम' (Minor Acts) माना गया है और इसलिए, इसका बहुत कम महत्व है। यह पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है और भले ही बार सहायता न करे, पीठ को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जैसे अधिनियमों में निहित दंड के मानवीकरण लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए।"

22. यह भी उल्लेखनीय है कि इस माननीय न्यायालय ने **सुभाष चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 लॉ सूट (इलाहाबाद) 1343** के मामले में, परिवीक्षा विधि को लागू करने और उपयुक्त मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों को लाभकारी विधि का लाभ देने की आवश्यकता को प्रभावी रूप से प्रतिपादित किया है। इस न्यायालय ने सभी विचारण न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

"ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त लाभकारी विधान को विस्मृत कर दिया गया है और यहां तक कि न्यायाधीश भी विधि के इस प्रावधान को व्यावहारिक रूप से भूल गए हैं। इस प्रकार, मामले को समाप्त करने से पूर्व, इस न्यायालय का विचार है कि यदि विचारण न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों के लिए सतर्कता बरतने वाले शब्द नहीं लिखे गए, तो मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहूंगा। इस न्यायालय के महा निबंधक को इस निर्णय की प्रति उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है, जो अंततः अपने अधीन काम करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों के मध्य इस आदेश की प्रति का प्रसार सुनिश्चित करेंगे और इस निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। राज्य के जिला न्यायाधीशों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे मामलों पर विचार करने वाले सभी न्यायालयों, अर्थात् विचारण न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों से हर महीने रिपोर्ट मांगें और यह बताएं कि कितने मामलों में अभियुक्तों को उपरोक्त प्रावधानों का लाभ दिया गया है। जिला न्यायाधीशों को प्रत्येक मासिक बैठक में व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों की निगरानी करने का भी निर्देश दिया जाता है। संबंधित जिला न्यायाधीश महा निबंधक को मासिक विवरण भेजेंगे कि विचारण न्यायालय/अपीलीय

न्यायालय ने कितने मामलों में अभियुक्तों को उपरोक्त लाभकारी विधि का लाभ प्रदान किया है।

तत्काल अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति महानिबंधक के समक्ष प्रस्तुत की जाए।"

23. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनंद (2004) 7 एससीसी 659** में अपीलकर्ताओं को अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया है, और निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया कि दुर्घटना वर्ष 1990 की है। पक्षकार शिक्षित और पड़ोसी हैं। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि अभियुक्त को अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जा सकता है। अभियुक्त की ओर से की गई प्रार्थना उचित प्रतीत होती है। दुर्घटना दस वर्ष से अधिक पुरानी है। विवाद पड़ोसियों के बीच नाली साफ करने के मामूली बिंदु को लेकर था। दुर्घटना गुस्से में हुई। सभी पक्षकार शिक्षित हैं और दूर के संबंधी भी हैं। दुर्घटना ऐसी नहीं है कि अभियुक्त को कारावास की सजा भुगतने के लिए निर्देशित किया जाए। हमारी राय में, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अभियुक्त को एक वर्ष के अच्छे व्यवहार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश देकर परीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए।"

24. **सीताराम पासवान और अन्य बनाम बिहार राज्य एआईआर 2005 एससी 3534** में अभियुक्त/अपीलकर्ता को परीक्षा अधिनियम का लाभ देने की वांछनीयता के बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:-

"विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र पर विचार करना होता है। अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की गंभीरता और पीड़ित पर अपराध के प्रभाव का यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत अभियुक्त को उपलब्ध लाभ प्रावधानों में निहित सीमा के अधीन है और "सकेगा" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र और मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके अपराधी को रिहा करना है या नहीं, यह विवेक न्यायालय में निहित है। अपराधी परीक्षा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत शक्तियां न्यायालय में तब निहित होती हैं जब किसी व्यक्ति को किए गए ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालयों द्वारा व्यक्ति को दोषी पाते समय किया जा सकता है और यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र सम्मिलित है, को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को लाभ दिया जाना चाहिए, तब इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षण चरण में और इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई के दौरान भी किया जा सकता है।"

25. यह भी उल्लेखनीय है कि मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 2017 एससी पृष्ठ 660 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"20-.....रतन लाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1965 एससी 444 में, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने बहुमत के पक्ष से विचार व्यक्त करते हुए कहा:-

"यह अधिनियम दंड विज्ञान के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह इस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक विधि का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने के बजाय उसे सुधारना अधिक है। मोटे तौर पर, अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों और उस आयु से ऊपर के अपराधियों, और उन अपराधियों के बीच अंतर करता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी हैं और वे जो हलके अपराध के दोषी हैं। जबकि 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों के मामले में न्यायालय को अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों में विहित शर्तों के अधीन उन्हें भर्त्सना के पश्चात या अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करने का पूर्ण विवेक दिया गया है, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामले में न्यायालय को एक निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वह उन्हें कारावास की सजा न दे जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए; जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्र शामिल है, उनके मामले पर अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन विचार करना वांछनीय नहीं है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *जगत पाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2000 एससी 3622* के मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 452, 506 के अंतर्गत अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया है और छह माह की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार और शांति बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष बंधपत्र निष्पादित करने पर अभियुक्तों को रिहा कर दिया है।
27. यह उल्लेखनीय है कि घटना वर्ष 1995 में बहुत पूर्व हुई थी। अभियुक्त-अपीलकर्ता पिछले 31 वर्षों से इस मामले में कष्ट झेल रहा है; अपीलकर्ता की आयु लगभग 70 वर्ष से अधिक है और अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिसका राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने खंडन नहीं किया है।
28. उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों और वाद की परिस्थितियों तथा इस बिंदु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के साथ-साथ इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से कोई विकृति उभर कर नहीं आई है, जो विक्षुब्ध होने योग्य नहीं है और इस तथ्य और परिस्थितियों पर भी विचार करते हुए कि कथित घटना वर्ष 1995 में हुई थी और अभियुक्त-अपीलकर्ता विगत 31 वर्षों से मामले में पीड़ित रहा है और वह बहुत वृद्ध है और अभियुक्त-अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसका राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत दोषसिद्धि के समर्थन में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किये गए निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है, लेकिन दंड को संशोधित किया जाता है।
29. अपीलकर्ता को जेल भेजने के स्थान पर उसे तत्काल अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाता है और उसे निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ रुपये 20,000/- की दो प्रतिभू प्रस्तुत करे और इस आशय का एक वचनपत्र भी दे कि वह आज से दो वर्ष की अवधि के दौरान शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेगा। उक्त बंधपत्र अपीलकर्ता द्वारा इस निर्णय की तिथि से दो माह की अवधि में दाखिल किए जाने हैं।

30. यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता नामतः *अजीमुल्ला उर्फ डल्ले उर्फ अलीमुल्लाह*, आज से दो माह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष रुपये 5000/- जमा करेगा और विचारण न्यायालय उक्त राशि पीड़ित के पक्ष में मुआवजे के रूप में जारी करेगा। यदि वह जीवित नहीं है, तो उक्त राशि उसके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में जारी की जाएगी।
31. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अपीलकर्ता को अभिरक्षा में ले लिया जाएगा और उसे प्रदान किया गया दंड भुगतना होगा।
32. उपरोक्त संशोधन के साथ, वर्तमान आपराधिक अपील *आंशिक रूप से स्वीकार* की जाती है।
33. आदेश की प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को भी भेजी जाए।
34. कार्यालय को आवश्यक अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को यह आदेश संसूचित करने का निर्देश दिया जाता है।
35. विचारण न्यायालय का अभिलेख, यदि कोई हो, उसे भी संबंधित जिला न्यायालय को वापस भेजा जाए।

19 मार्च, 2026

दिव्या

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)